कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/23/2024

श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री ब्रह्मदत्त पाण्डेय निवासी शान्ति कुटीर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास, भुसावर, जिला भरतपुर मो.नं. 9414413420

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भुसावर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 24.05.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री ब्रह्मदत्त पाण्डेय निवासी शान्ति कुटीर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास, भुसावर जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भुसावर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/300 दिनांक 04.05.2024 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भुसावर से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भुसावर के पत्रांक आर.टी.आई./2024/48 दिनांक 24.05.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन के साथ संलग्न किये गये पोस्टल ऑडर खाली होने के कारण प्रार्थी/अपीलार्थी को नकल/सूचना

2......

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई / अपील / 2024 / 23
भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय बनाम तहसीलदार भुसावर

उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। तत्पश्चात आवेदक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर नकल प्राप्त की जा चुकी है। साथ ही प्रार्थी द्वारा नकल प्राप्ती की प्राप्ति रसीद भी संलग्न कर भिजवाई गई है।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध कराने एवं लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भुसावर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर